रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 903] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2001/अग्रहायण 23, 1923
No. 903] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2001/AGRAHAYANA 23, 1923

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1220(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989(1989 का 24) की धारा 200 के साथ पठित धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 1985 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) ये नियम रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण (संशोधित) नियम, 2001 कहलाएंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 1985(क) के नियम 5 में :—

(क)खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाए, अर्थात्—

"(ii) अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं होगी:

परंतु यदि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है तो अनुज्ञप्ति की असमाप्त अवधि के लिए अनुज्ञप्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके कानूनी वारिस (वारिसों)को हस्तांतरित कर दी जाए और उक्त कानूनी वारिस इन नियमों के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करने के लिए भी पात्र है(हैं)।";

(ख) खंड (xiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड शामिल किया जाए, अर्थात्—

"(xv) क्षेत्रीय रेलें इन नियमों के ढांचे के भीतर सामान्य कार्यप्रणाली संबंधी शर्तों को दर्शाएंगी:—"

(ख) नियम 6 में खंड (क) के लिए निम्नलिखित को रखा जाए:—

"(क) अनुज्ञप्ति का निलंबन/रद्दकरण : सक्षम प्राधिकारी को भारतीय रेल अधिनियम, 1989 और इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, टिकटें खरीदने और आरक्षण प्राप्त करने की बाबत लागू इन नियमों या किन्हीं अन्य नियमों या विनियमों के अधीन शर्तों में से किसी का उल्लंघन करने के लिए या उन्हें न पूरा करने के लिए या किसी अन्य कारण से जिसे सक्षम प्राधिकारी लोकहित में समीचीन समझता है, किसी भी समय अनुज्ञप्ति को निलंबित करने या रद्द करने का प्राधिकार होगा।

अनुज्ञप्ति के निलंबन के मामले में, अनुज्ञप्ति और पहचान पत्र निलंबन आदेश जारी होने के सात दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर दिया जाए, ऐसा न करने पर अनुज्ञप्ति समाप्त करने के संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

परन्तु इस नियम के अधीन अभिकर्ता के विरुद्ध तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, जब तक कि उसे कारण बताने का अवसर नहीं दिया जाता।"।

[2000/टी.जी.-I/23/पी/आरटीएसए रूल्स]

आर. के. सिंह, सचिव रेलवे बोर्ड

पाद टिप्पणी :—मूल नियम सं. का.आ. 881 (अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 1985 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए तथा तत्पश्चात सं का.आ. 771(अ), दिनांक 30 जुलाई, 1987, सं का.आ.331(अ), दिनांक 1 जुलाई, 1992, सं का.आ.842(अ), दिनांक 21 सितम्बर, 1998 तथा सं का.आ.245(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 1999 ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2001

S.O. 1220(E).—In exercise of the powers conferred by Section 60 read with Section 200 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 1985, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents (Amendment) Rules, 2001.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 1985, (A) in rule 5,—

   (a) for caluse (ii), the following shall be substituted, namely :—

   "(ii) The licence shall not be transferable :

   Provided that in case the licencee dies, the licence may be transferred to his legal heir(s) for the unexpired period of licence, by the competent authority and the said legal heir(s) is/are also eligible to apply for renewal of said licence in accordance with the provisions of rule 7 of these rules.";

   (b) after clause (xiv), the following clause shall be insrted, namely :—

   "(xv) Zonal Railways shall specify the general working conditions within the frame work of these rules";

   (B) In rule 6, for clause (a), the following shall be substituted namely :—

   "(a) Suspension/cancellation of the Licence :—Without prejudice to any other provisions under the Railways Act, 1989, and these rules the competent authority shall have the right to suspend or cancel at any time the licence after giving due notice for violation or for ceasing to fulfil any of the conditions under these rules or any other rule or regulation applicable with regard to purchase of ticket and securing reservation or for any other reason which the competent authority deems to be expendient in the public interest to do so.

   In case of suspension of licence, the licence and identity cards shall be surrendered to the competent authority within seven days of issuance of the order of suspension failing which action shall be initiated to terminate the licence :

   Provided that no action under this rule shall be taken unless an apportunity to show cause is given to the agent.".

[2000/TG-I/23/P/RTSA Rules]

R. K. SINGH, Secy., Railway Board

Foot Note :—The principal rules were published vide No. S.O. 881(E), dated the 5th December, 1985 and subsequently amended vide No. S.O. 771(E) dated the 30th July, 1987 No. S.O. 331(E), dated the 1st July, 1992, No. S.O. 842(E) dated the 21st September, 1998 and No. S.O. 245(E) dated 12th April, 1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.